

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Writ Petition No. 12668/2026
CNR: RJHC020243052026 | URN: CW / 1429U / 2026

Jagdish S/o Girdharilal, R/o Indra Colony, Goverdhan Vilas, Chunginaka, Police Station Goverdhan Vilas, District Udaipur (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar (Raj.). Through His Cousin Brother Gajendra Oad S/o Bholaram Oad, Aged About 26 Years R/o Hawa Magri, Goverdhan Vilas, Chunginaka, Police Station Goverdhan Vilas, District Udaipur (Raj.).

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Secretary Home, Secretariat, Jaipur (Raj.).
2. The Director General Of Prisons, Directorate Prisons, Ghatgate, Jaipur (Raj.)
3. The Superintendent Central Jail, Alwar (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Tekchand Swami
For Respondent(s)	:	Mr. Tapeshe Agarwal, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/08/2026

याची/बन्दी की ओर से यह याचिका उसे खुला बंदी शिविर में भिजवाए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 07.10.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

याची का रिट याचिका यह अभिकथन रहा है कि याची बंदी वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह अलवर में निरुद्ध है। याची को विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम-4, उदयपुर के सेशन केस संख्या 57/2018 अपराध धारा 302/34, 365, 394, 201 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम में निर्णय दिनांक 12.07.2022 से दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसमें से उसे 08 वर्ष 09 माह से अधिक का समय अभिरक्षा में हो गया है। याची की ओर से उसे

खुला बंदी शिविर में भेजने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, परंतु उक्त प्रार्थना-पत्र सक्षम अधिकारीगण की ओर से दिनांक 07.10.2025 की बैठक में निरस्त कर दिया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता याची/बंदी का तर्क है कि उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं है। याची द्वारा राजस्थान खुला बंदी शिविर नियम 1972 की समस्त आवश्यक योग्यताओं के होते हुए भी उसका प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया है। उनका तर्क है कि खुला बंदी शिविर समिति ने उसका प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि याची को धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उनका तर्क है कि राजस्थान खुला बंदी शिविर नियम 1972 में जो अयोग्यताएं अंकित की गई हैं, वे आज्ञापक नहीं हैं। इस न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों में प्रतिबंधित धाराओं के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध और दण्डित बंदी को भी खुला बंदी शिविर में रखे जाने हेतु निर्देश दिया है। उसका जेल में आचरण अच्छा रहा है, जैसा कि जवाब के साथ प्रस्तुत नोमिनल रोल में भी अंकित है। याची ने कोई पैरोल का उपभोग नहीं किया है। सक्षम अधिकारीगण ने याची/बंदी का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर भारी विधिक भूल की है। उनका तर्क है कि राजस्थान खुला बंदी शिविर 1972 नियमों की प्रस्तावना के अनुसार ही इन नियमों की स्थापना बंदियों का आचरण अच्छा रखने के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें संतोषजनक कार्य क्षमता एवं आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के उद्देश्यों के लिए की गई है। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किए गए हैं:—

1. **रामोतार उर्फ रामावतार—बनाम—राजस्थान राज्य**

एकलपीठ दाण्डिक रिट संख्या 341/2016

2. **मुस्ताक उर्फ आरिफ—बनाम—राजस्थान राज्य**

एकलपीठ दाण्डिक रिट याचिका संख्या 538/2023

उनका यह भी तर्क है कि नियम 3 राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर 1972 में प्रयुक्त शब्दावली सामान्यतः (Ordinarily) को “आवश्यक नहीं” (Not necessarily) के रूप में निर्वचन किया गया है, अतः इस नियम के उपनियमों की सम्पूर्ण पालना होना आज्ञापक नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में याची का प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का आदेश विधिविरुद्ध है तथा संधारणीय नहीं है। अतः उसकी याचिका स्वीकार कर उसे खुला बंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने रिट याचिका का जवाब प्रस्तुत किया है। बहस के दौरान उनका यह तर्क रहा है कि याची को धारा 302/34, 365, 394, 201 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का आदेश सर्वथा विधिपूर्ण है एवं उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। याची की याचिका निरस्तनीय है, निरस्त की जाये।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि याची को खुला बंदी शिविर में भेजने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.10.2025 की बैठक में निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। याची को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302/34, 365, 394, 201 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत नोमीनल रोल के अनुसार याची/बंदी द्वारा अब तक 1/3 सजा अर्थात् 08 वर्ष 09 माह 13 दिन का समय अभिरक्षा में व्यतीत कर लिया गया है।

सम्बन्धित नियमों का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि नियम 3 राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर 1972 में सामान्यतः (ordinarily) शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय “आवश्यक नहीं” (not necessarily) के रूप में निर्वचन करते हुए इस न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने न्यायिक विनिश्चय सुभाष चंद-बनाम-राजस्थान राज्य खण्डपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12020/2013 में निम्न प्रकार से प्रेक्षण किया है—

10. Since Rule 3 of the Rules of 1972 has already been considered and the word 'ordinarily' has already been interpreted as 'not necessarily', therefore, respondents cannot refuse to accept and consider the applications of the petitioners, subject to other conditions. The present matters are fully covered by decisions of this Court in [Krishna & Anr. Vs. State of Rajasthan \(supra\)](#) & [Geeta Devi Vs. State of Rajasthan \(supra\)](#).

एक अन्य न्यायिक विनिश्चय ओमप्रकाश उर्फ विष्णु-बनाम-राजस्थान राज्य खण्डपीठ दण्डिक रिट याचिका संख्या 384/2022 में प्रतिबंधित धारा का अपराध

होने के आधार पर खुला बंदी शिविर में बंदी को भेजने के प्रार्थना-पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रेक्षण किया गया है—

The application filed on his behalf for being sent to the Open Air Camp has been dismissed by the State Level Committee vide recommendation dated 10.03.2022 assigning the reason that the petitioner has been convicted for the offence under Section 460 IPC, which a restricted category offence under the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972 (for short, 'the Rules of 1972') and hence, he is not entitled to be sent to the Open Air Camp. Be that as it may. This legal aspect was considered by this Court in the case of Sandeep S/o Shri Navrangi Goswami Vs. State of Rajasthan (D.B. Criminal Writ Petition No.532/2021 decided on 23.11.2021) and it was held that the word "ordinarily" used in Rule 3(d) of the Rules of 1972 for the ineligibility imposed for admission to Open Air Camp cannot be treated to be an absolute prohibition. Shri Bhati submits that pursuant to the said judgment, the convict Sandeep, who too was sentenced for a restricted category offence, has been sent to the Open Air Camp.

In this view of the matter, the adverse recommendations are set aside qua the petitioner. The matter is remanded to the State Level Committee for re-considering the application of the petitioner in light of the judgment rendered in the case of Sandeep (supra).

याची बंदी को अभिरक्षा में लगभग 08 वर्ष 09 माह 13 दिवस का समय हो चुका है। उसका आचरण जेल में अच्छा बताया गया है। उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य विद्वान लोक अभियोजक द्वारा नहीं बताया गया है। उसके द्वारा एक तिहाई से अधिक अवधि अभिरक्षा में व्यतीत कर ली गई है। याची के विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण लम्बित नहीं होना तथा उसके द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की कोई पैरोल का उपभोग नहीं करना बताया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्तांकित न्यायिक विनिश्चयों के प्रकाश में याची/बंदी वर्तमान मामले में खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की पात्रता

राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर 1972 के नियमों के अनुरूप रखता है और उसका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने सम्बन्धी महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर का आलोच्य आदेश/बैठक कार्यवाही विवरण दिनांकित 07.10.2025 याची/बंदी की सीमा तक अपास्त किए जाने योग्य है।

परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 07.10.2025 याची/बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/बंदी को नियमानुसार केन्द्रीय कारागार, अलवर से खुला बंदी शिविर, उदयपुर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अयाचीगण/जेल अधिकारीगण को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J